



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267178
CG-DL-E-27102025-267178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4750]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2025/ कार्तिक 5, 1947

No. 4750]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2025/ KARTIKA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4901(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा :-

(क) निर्देश देता है कि संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, निम्नलिखित समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करेगा: -

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत उन गलतियों को सुधारना जो अभिलेखों से स्पष्ट हैं, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहले जारी किया गया कोई भी रिफंड और/या किसी भी पूर्व-भुगतान किए गए कर क्रेडिट पर विचार न करना और/या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244ए के तहत किसी भी राहत पात्र और/या ब्याज की गणना पर विचार न करना, आयकर अधिनियम के तहत कोई भी आदेश पारित करने में जिसके परिणामस्वरूप कर की गणना और/या निर्धारित रिफंड और/या मांग में त्रुटि हुई हो;

- ii. उपरोक्त (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अंतर्गत मांग का नोटिस जारी करना।

ऐसे भू-भाग वाले क्षेत्र या ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं और उसकी सभी आय या आय की श्रेणियों के संबंध में;

(ख) इस अधिसूचना में निर्दिष्ट आयकर आयुक्त को, उसके अधीनस्थ आयकर के अपर आयुक्तों या संयुक्त आयुक्तों द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ऐसे भू-भाग वाले क्षेत्र या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों या ऐसी आय या आय की श्रेणियों या ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं;

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आयकर के अपर आयुक्तों या संयुक्त आयुक्तों को, ऐसे भू-भाग वाले क्षेत्र या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों या आय या आय की श्रेणियों, या उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में, जो उनके अधीनस्थ हैं, निर्धारण अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है, जिसके संबंध में आयकर के ऐसे अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त इस अधिसूचना के खंड (ख) के तहत आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत हैं।

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु	बेंगलुरु	वे सभी मामले जहां आदेश निर्धारण अधिकारी और केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र के बीच इंटरफेस के माध्यम से पारित किए गए हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 155 /2025/फा. सं. सीबी/362/2025- कार्यालय एडिशनल.

डीआईटी 6 सीपीसी बेंगलुरु-187/10/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव